रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1972/माघ 16, 1893

No. 75] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1972/MAGHA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

ORDERS

New Delhi, the 5th February 1972

S.O. 105(E).—In exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Molasses Control Order, 1961, namely:—

1. (1) This Order may be called the Molasses Control (Amendment) Order, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Molasses Control Order, 1961:—

(a) for clause 3, the following clause shall be substituted, namely:—

"3. *Restrictions on Sale.*—Every owner of a sugar factory shall, notwithstanding any contract to the contrary, sell the entire quantity of molasses or such portion *thereof*, produced by him or held in stock by him, to any person or persons as may be specified by

general or special order in each case by the Molasses Controller and shall not dispose of such molasses in any other manner.";

(b) for clause 7, the following clause shall be substituted, namely:—

"7. *Maximum price at which molasses may be sold.*—(1) No molasses of the grades specified in column 1 of the Schedule appended hereto other than molasses which may be specifically released by the Molasses Controller for purposes of export, shall be sold at a price higher than that specified in column 2 thereof.

(2) No molasses specifically released by the Molasses Controller for purposes of export shall be sold to any exporter of molasses at a price higher than Rs. 9.75 per kilograms F.O.B. Indian Port.

NOTE.—The price fixed in the Schedule is exclusive of any excise duty or cess that may be levied under any law but includes cost of loading the molasses in tank wagons or tank lorries as may be arranged between the owner of a sugar factory and the purchaser.";

(c) for clause 11, the following clause shall be substituted, namely:—

"11. *Application of provisions of the Order to molasses prepared by open pan process.*—(1) The provisions of this Order shall apply to and in relation to molasses prepared by the open pan process (that to say, mother liquor produced in the final stage of the manufacture of khandsari sugar by the open pan process) from sugarcane or gur with the aid of power as they apply to and in relation to mother liquor produced in the final stage of the manufacture of sugar by the vacuum pan process from sugarcane or gur with the aid of power:

Provided that in such application, the Schedule to this Order shall have effect as if for that Schedule, the following Schedule had been substituted, namely:—

THE SCHEDULE

Grade of molasses	Price
Grade I	Re. 1.00 per 100 kilograms:

Provided that the percentage of total reducing sugar expressed as invert sugar is not less than 50 per cent.

(2) Notwithstanding that the provisions of this Order have come into force in any State, the provisions of sub-clause (1) shall not come into force in that State unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs.

NOTE.—From the price fixed under the above Schedule, 33 per cent thereof shall be accounted for and funded separately by the producers, and shall be utilised for erection of adequate storage facilities in accordance with the orders that may be issued by the Central Government for the regulation of such funds.";

(d) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SCHEDULE

Grade of Molasses	Price
Grade I	Re. 1.00 per 100 kilograms.
Grade II	Re. 0.80 per 100 kilograms.
Grade III	Re. 0.60 per 100 kilograms.

NOTE.—(1) For quality of molasses below Grade III, the price will be Re. 0.60 for every 40 kilograms reducing sugar content therein.

(2) From the price fixed under the above Schedule for different grades of Molasses, the below mentioned amounts shall be accounted for and funded separately and shall be utilised for erection of adequate storage facilities in accordance with the orders that may be issued by the Central Government for the regulation of such funds:—

Grade I Molasses	Re. 0.33 per 100 kilograms.
Grade II Molasses	Re. 0.27 per 100 kilograms.
Grade III Molasses	Re. 0.20 per 100 kilograms.
Below Grade III Molasses	Re. 0.20 for every 40 kilograms of reducing sugar content therein".

[No. 4/7/71/Ch. I.]

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

का० आ० 105(अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:—

1. (1) यह आदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 में:—

(क) खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"3. **विक्रय पर निबंधन**—शर्करा कारखाने का प्रत्येक स्वामी, इसके प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शीरे की समग्र मात्रा या उसके द्वारा उत्पादित या उसके द्वारा स्टाक में धारित उसके ऐसे अंश को जैसे शीरा नियंत्रक द्वारा हर मामले में साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, बेचेगा और ऐसे शीरे को किसी अन्य रीति में व्ययनित नहीं करेगा।'

(ख) खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7. **वह अधिकतम कीमत जिस पर शीरा बेचा जा सकेगा**—

(1) शीरा नियंत्रक द्वारा निर्यात के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्टतया निर्मोचित शीरा से भिन्न इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का कोई शीरा अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट कीमत से उच्चतर कीमत पर नहीं बेचा जाएगा।

(2) शीरा नियंत्रक द्वारा निर्यात के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्टतया निर्मोचित कोई शीरा शीरे के किसी भी निर्यात कर्ता को 9.75 रुपए प्रति 100 किलोग्राम भारतीय पोत पर्यन्त निशुल्क से उच्चतर कीमत पर नहीं बेचा जाएगा।

टिप्पण:—अनुसूची में नियत कीमत में ऐसा कोई उत्पाद शुल्क या उपकर सम्मिलित नहीं है जो किसी विधि के अधीन उद्ग्रहीत किया जाए किन्तु टैंक वैगनों या टैंक लारियों में चढ़ाने की लागत, सम्मिलित है जैसा कि शर्करा कारखाने के स्वामी और क्रेता के बीच इन्तजाम किया जाए।"

(ग) खंड II के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"II खुले कड़ाह की प्रक्रिया द्वारा तैयार शीरे को इस आदेश के उपबन्धों का लागू होना

(1) इस आदेश के उपबंध, शक्ति की सहायता से गन्ने या गुड़ से खुले कड़ाह की प्रक्रिया (अर्थात खुले कड़ाह की प्रक्रिया द्वारा खंडसारी शर्करा के विनिर्माण के अंतिम प्रक्रम में उत्पादित मूल द्रव द्वारा तैयार शीरे को और उसके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे शक्ति की सहायता से गन्ने या गुड़ से निर्वात कड़ाह की प्रक्रिया द्वारा शर्करा के निर्माण के अंतिम प्रक्रम में उत्पादित मूल द्रव को तथा उसके संबंध में लागू होते हैं :—

परन्तु ऐसे लागू होने में इस आदेश की अनुसूची का वही प्रभाव होगा मानों उस अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की गई थी, अर्थात:—

शीरे की श्रेणी	**कीमत**
श्रेणी 1	प्रति 100 किलोग्राम 100 रु०

परन्तु प्रतीय शर्करा के रूप में व्यक्त कुल उपचयन शर्करा का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अन्यून न हो ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि इस आदेश के उपबंध किसी राज्य में प्रवृत्त हो गए हैं, उपखंड (1) के उपबंध, उस राज्य में तब तक नहीं प्रवृत्त होंगे जब तक केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे ।

टिप्पण: उपरोक्त अनुसूची के अधीन नियत कीमत में से उसके 33 प्रतिशत का उत्पादक द्वारा लेखा-जोखा दिया जाएगा तथा उसे पृथक निधि में रखा जाएगा तथा उसे ऐसी निधियों के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाए आदेशों के अनुसार पर्याप्त भण्डारकरण की सुविधाओं के परिनिर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।"

(घ) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

"**अनुसूची**

शीरे की श्रेणी	**कीमत**
श्रेणी I	1.00 रु० प्रति 100 किलोग्राम
श्रेणी II	0.80 रु० प्रति 100 किलोग्राम
श्रेणी III	0.60 प्रति 100 किलोग्राम

टिप्पण:—(1) श्रेणी III से नीचे के शीरे की क्वालिटी के लिए कीमत, उसमें हर 40 किलोग्राम अपचयन शर्करा अन्तर्वस्तु के लिए 0.60 रु० होगी ।

(2) उपरोक्त अनुसूची के अधीन शीरे की विभिन्न श्रेणियों के लिए नियत कीमत में से, निम्नलिखित राशियों का लेखा जोखा दिया जाएगा और उन्हें पृथक निधि में रखा जाएगा और उन्हें ऐसी निधियों के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पर्याप्त भंण्डारकरण की सुविधाओं के परिनिर्माण के लिए प्रयुक्त किया जायेगा :—

श्रेणी I शीरा	प्रति 100 किलोग्राम 0.33 रुपए
श्रेणी II शीरा	प्रति 100 किलोग्राम 0.27 रुपए

श्रेणी III शीरा	प्रति 100 किलोग्राम 0 20 रुपए
श्रेणी III से नीचे के शीरे	हर 40 किलोग्राम अपचयन शर्करा अन्तर्वस्तु 0 20 रुपए

[सं० 4/7/71-रसा-I.]

S.O. 106(E).—In exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order to amend the Ethyl Alcohol (Price Control) Order, 1971, namely:—

1. (1) This Order may be called the Ethyl Alcohol (Price Control) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ethyl Alcohol (Price Control) Order, 1971,—

(a) for clause 2, the following clause shall be substituted, namely:—

"2. *Maximum ex-distillery prices of Ethyl Alcohol.*—After the commencement of this Order, no person shall sell ex-distillery any of the grades of ethyl alcohol (industrial alcohol) specified in column (1) of the Table below at a price exceeding the price specified in the corresponding entry in column (2) thereof

THE TABLE

(1)	(2)
1. Absolute alcohol conforming to I.S.I. Standard No. 321-1952, naked, for equivalent volume at 100 per cent V/V strength.	Rupees two hundred and fifty and Paise fifty only (Rs. 250.50) per kilo litre.
2. Rectified spirit conforming to I.S.I. Standard No. 323-1959, naked, for equivalent volume at 100 per cent V V strength.	Rupees two hundred and forty two and Paise thirty seven only (Rs. 242.37) per kilo litre

NOTE.—These prices include six rupees (Rs. 6.00) per kilo litre for putting up adequate storage facilities. This amount shall be separately funded and shall be utilised in accordance with the orders that may be issued for the regulation of such funds.";

(b) after clause 3(a)(ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case a distillery has to incur actual costs of more than the ceiling of one hundred rupees (Rs. 100.00) per kilo litre, the Government of the State in which the distillery is located may, after satisfying itself of the genuinness of the costs, as a special case allow a sum not exceeding one hunderd and fifty rupees (Rs. 150.00) per kilo litre to be charged in addition to the price specified in the said clause.".

[No. 4/7/71/Ch. I.]

S. D. BHAMBRI, Jt. Secy.

कानूनी आदेश 106(अ)—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एथिल एल्कोहल (कीमत नियंत्रण) आदेश 1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है :—

1 (1) यह आदेश एथिल एल्कोहल (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1972 का कहा जा सकेगा ।

(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. एथिल एल्कोहल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1971 में :—

(क) खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

"2 **एथिल एल्कोहल की मद्य निर्माणशालों द्वार पर अधिकतम कीमत :**

इस आदेश के प्रारम्भ होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट एथिल एल्कोहल (औद्योगिक एल्कोहल) के किसी ग्रेड का मद्य निर्माणशाला द्वार पर उसकी स्तम्भ (2)

तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कीमत से अधिक कीमत पर विक्रय नहीं करेगा ।

सारणी

1	2
(1) भा० मा० सं० के मानक सं० 321–1952 के अनुरूप परिशुद्ध एल्कोहल खुला 100 प्रतिशत V/V शक्ति के समतुल्य आयतन के लिए	केवल दो सौ पचास रुपए और पचास पैसे (250.50 रुपए) प्रति किलो लिटर
(2) भा० मा० सं० के मानक सं० 323–1959 के अनुरूप परिशोधित एल्कोहल खुला 100 प्रतिशत शक्ति के समतुल्य आयतन के लिए	केवल दो सौ बयालीस रुपए और सैंतीस पैसे (242.37 रुपए) प्रति किलो लिटर

टिप्पण: इन कीमतों में पर्याप्त भंडारकरण सुविधा के लिए छह रुपए (06.00 रुपए) प्रतिकिलोलिटर भी सम्मिलित है। यह रकम पृथक्‌त निधि के रूप में रखी जायेगी और उन आदेशों के अनुसार प्रयुक्त की जायेगी जो ऐसी निधियों के विनियमन के लिए जारी किए जायेंगे ।"

(ख) खंड 3 (क) (ii) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि यदि एक मद्य निर्माणशाला को एक सौ रुपए (100 00 रु०) प्रतिकिलो लिटर के शिखरतम मूल्य से अधिक वास्तविक लागत देनी पड़ती है, तो राज्य सरकार जिसमें मद्य निर्माणशाला स्थापित है, लागतों की यथार्थता से अपने आप को संतुष्ट करने के पश्चात् उक्त खंड में विनिर्दिष्ट कीमत के अतिरिक्त कोई राशि, जो एक सौ पचास रुपए (150.00 रु०) प्रति किलो लिटर से अधिक न हो, एक विशेष मामले के रूप में लेने की अनुमति देगी ।"

[सं० 4/7/71-रसा–1]

सत्यदेव भाम्बरी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972